

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) बी के तहत

आर. एम. वाद संख्या-एम०-92/2021-22

रूपन देवी बनाम् पंचमी देवी

तारीख	आदेश	
1	2	3

विक्रेता का नाम एवं पता- रूपन देवी पति-स्व० ब्रजमोहन महतो
ग्राम-सेरेंगडीह,पो०-चोकाहातु, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती ।

क्रेता का नाम एवं पता:- पंचमी देवी, पति-हरिश चन्द्र महतो
ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पाण्डाडीह,
थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड)
जाति-कुरमी,पेशा-खेती ।

विद्वान अधिवक्ता का नाम:- श्री दुर्योधन महतो
विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक
08/12/2021 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की
धारा-46 (1) बी के तहत क्रेता पंचमी देवी, पति-हरिश चन्द्र महतो
ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पाण्डाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-
कुरमी,पेशा-खेती के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-
जमीन की विवरणी

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
कोंकाडीह	सोनाहातु/04	161	34	26 डी०
			35	19 डी० चौहद्दी- उ०-शिवराम महतो द०-पचा महतो पू०-चन्द्र मोहन महतो प-श्रीपदो महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक-1015(II) दिनांक 24/12/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत धरमा महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत/पंजी- II रैयत के संबंध पति-पत्नी का है।
3. पंजी- II के अनुसार रैयत का नाम ब्रजमोहन महतो है।
4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018-2019 तक वसूली की गई है।
5. खरीदगी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है।
7. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा-4.20 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को लोन चुकाने हेतु बिक्री कर रहे है।



9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है एवं दोनों जिला-राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विक्रेता रूपन देवी पति-स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम-सेरेंगडीह, पो०-चोकाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता पंचमी देवी, पति-हरिश चन्द्र महतो ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पाण्डाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति- कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08/12/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।


अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता रूपन देवी पति-स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम-सेरेंगडीह, पो०-चोकाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता पंचमी देवी, पति-हरिश चन्द्र महतो ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पाण्डाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति- कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

जमीन की विवरणी

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
कोंकाडीह	सोनाहातु/04	161	34	26 डी०
			35	19 डी० चौहद्दी- उ०-शिवराम महतो द०-पचा महतो पू०-चन्द्र मोहन महतो प-श्रीपदो महतो

लेखापित एवं सशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।

9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं एवं दोनों जिला-राँची के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विक्रेता रूपन देवी पति-स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम-सेरेंगडीह, पो०-चोकाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता पंचमी देवी, पति-हरिश चन्द्र महतो ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पाण्डाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति- कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08/12/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।


अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता रूपन देवी पति-स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम-सेरेंगडीह, पो०-चोकाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता पंचमी देवी, पति-हरिश चन्द्र महतो ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पाण्डाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति- कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

जमीन की विवरणी

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
कोंकाडीह	सोनाहातु/04	161	34	26 डी०
			35	19 डी० चौहददी- उ०-शिवराम महतो द०-पचा महतो पू०-चन्द्र मोहन महतो प-श्रीपदो महतो

लेखापित एवं सशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।